न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मेड़ता

बईजलास श्री के.आर. चौहान, आ.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 217/2019

वादीगण :–

1. पुनीदेवी पत्नी स्व. श्री सियाराम
2. रामकिशोर पुत्र स्व. सियाराम
3. सुगनाराम पुत्र स्व. सियाराम
4. हपाराम पुत्र स्व. सियाराम

सभी जाति जाट, निवासीगण कड़वासड़ों की ढाणी

तहसील मेड़ता, जिला नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. रामप्रकाश पुत्र श्री पेमाराम
2. सुखराम पुत्र श्री पेमाराम
3. माडीदेवी पत्नी श्री पेमाराम
4. मुन्नीदेवी पुत्री श्री पेमाराम
5. मैना पुत्री श्री पेमाराम
6. सीता पुत्री श्री पेमाराम
7. कमली पुत्री श्री पेमाराम
8. गीता पुत्री श्री पेमाराम
9. जगदीशराम पुत्र कबुदेवी
10. श्यामाराम पुत्र कबुदेवी
11. सोहनराम पुत्र कबुदेवी

सभी जाति जाट, निवासीगण कड़वासड़ों की ढाणी

तहसील मेड़ता, जिला नागौर।

12. तहसीलदार, मेड़ता।

दावा बाबत घोषणा, बंटवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

अन्तर्गत धारा 88 व 53 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

निर्णय दिनांक :– 29.11.2019

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वकील वादी श्री मोईनुदीन सांखला ने दावा बाबत घोषणा व बंटवाड़ा का पेश कर निवेदन किया कि ग्राम कड़वासड़ों की ढाणी में खेत खसरा नम्बर 124 रकबा 1.23 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 261 रकबा 0.40 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 381 रकबा 2.51 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 439 रकबा 0.83 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 509 रकबा 0.19 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 579 रकबा 0.61 हैक्टेयर कुल रकबा 5.77 हैक्टेयर व ग्राम हरसोलाव की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 974 रकबा 0.60 हैक्टेयर पक्षकारान की पैतृक, संयुक्त खातेदारी की आराजी है, जो पक्षकारान को स्व. पेमाराम से उत्तराधिकार में प्राप्त हुई। जिसे आगे के पैरो में विवादित आराजी के नाम से संबोधित किया गया है। सिजरा खानदान अर्जीदावा के पैरा संख्या 2 में वर्णितानुसार है। पेमाराम के पुत्र वादीगण के पति व पिता सियाराम का देहान्त हो चुका है, जिससे उनका हिस्सा वादीगण को उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ, इसके अतिरिक्त पेमाराम जी की पुत्री कबूदेवी का देहान्त हो चुका है, जिनके वारिसान प्रतिवादी संख्या 9, 10, 11 है। विवादित आराजी पक्षकारान को उत्तराधिकार में प्राप्त होने के बाद पक्षकारान ने अक्षय तृतीय सम्वत् 2075 को अन्य सम्पति के साथ विवादित आराजी का बंटवाड़ा कर लिया, जो अर्जीदावा के पैरा संख्या 4 में वर्णितानुसार है। प्रतिवादीनी संख्या 3 वृद्धावस्था में है तथा शेष प्रतिवादीगण ने अपने हिस्से की जमीन के एवज में नगदी व आभूषण वगैराह बंट में रखे गये इसलिये विवादित आराजी में इनका कोई बंट नही रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के बंट में अन्य भूमि आयी हुई होने से तथा गांव की आबादी, रास्तों की निकटता व दूरी के हिसाब से पक्षकारान के बंट के रकबा में अन्तर रखा गया है।

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

पक्षकारान बंटवाड़े के दिन से विवादित आराजी पर उपरोक्त बताये अनुसार अपने–अपने बंट पर काश्त व काबिज है और इनका अपने–अपने बंट पर काश्त व क़ब्ज़ा निरन्तर, शांतिपूर्वक आबाद रूप से चला आ रहा है। पक्षकारान ने मौके पर सहुलियत से बंटवाड़ा कर लिया है किन्तु राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादीगण का नाम वादीगण की बंट की भूमि में खातेदार के रूप में दर्ज होने से वादीगण को अपूर्णीय क्षति होने की आशंका है, जिससे वादीगण अपने बंट की भूमि के खातेदारी हकों की घोषणा अकेलों के नाम करवाने तथा इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाने के मुश्तहक है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को विवादित आराजी का बंटवाड़ा दिनांक 05.08.2019 को बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाने के लिये निवेदन किया तो प्रतिवादीगण इंकार हो गये, जिससे वादीगण को दावा पेश करना आवश्यक हो गया, सो दावा पेश है। अतः अर्जीदावा के पैरा संख्या 12 अनुसार दावा डिक्री फरमाया जावें।

2. वादीगण ने अपने पक्ष समर्थन में मौजा कड़वासड़ों की ढाणी की जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2076, खाता संख्या 134, डिजिटल नक्शा की प्रति, मौजा हरसोलाव की जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2076, खाता संख्या 694 एवं डिजिटल नक्शा की प्रतियां पेश की।

3. दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन वास्ते जवाबदेही तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 11 की ओर से वकील श्री गणपतलाल परिहार ने वकालतनामा पेश किया है तथा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 11 ने राजीनामा पेश। प्रतिवादी मुन्नीदेवी, जगदीश, श्यामाराम, सोहनराम, माडीदेवी, मैना, गीता, कमली, सीता के शपथ पत्र पेश किये। प्रतिवादी संख्या 12 बावजूद सम्मन तामील अनुपस्थित रहने से दिनांक 27.09.2019 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी है।

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

4. विद्वान वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई जिसमें उनका मुख्य तर्क यह है कि प्रश्तगत भूमि पक्षकारान की पैतृक भूमि है। जिसका पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से राजीनामा कर लिया है। अतः माफिक राजीनामा दावा डिक्री फरमाया जावें।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। वादग्रस्त भूमि का पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से राजीनामा कर लिया है। अतः माफिक राजीनामा दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

–: आदेश :–

6. **(क) वादीगण संख्या 2 से 4 रामकिशोर, सुगनाराम एवं हपाराम के बंट में :–** ग्राम कड़वासड़ों की ढाणी की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 381 रकबा 2.51 हैक्टेयर सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 439 रकबा 0.83 हैक्टेयर सम्पूर्ण कुल रकबा 3.34 हैक्टेयर बंट व खातेदारी में रहेगी।

(ख) प्रतिवादी संख्या 1 रामप्रकाश :– ग्राम हरसोलाव की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 974 रकबा 0.60 हैक्टेयर सम्पूर्ण भूमि बंट व खातेदारी में रहेगी।

(ग) प्रतिवादी संख्या 2 सुखराम :– ग्राम कड़वासड़ों की ढाणी की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 261 रकबा 0.40 हैक्टेयर सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 509 रकबा 0.19 हैक्टेयर सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 579 रकबा 0.61 हैक्टेयर सम्पूर्ण बंट व खातेदारी में रहेगी।

(क) वादीनी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 तथा 2 के संयुक्त बंट में :– ग्राम कड़वासड़ों की ढाणी की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 124 रकबा 1.23 हैक्टेयर तीनों के बराबर–बराबर संयुक्त रूप से बंट व खातेदारी में रहेगी।

7. प्रतिवादी संख्या 3 से 11 ने अपने हक की भूमि का हक तर्क वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हक में कर दिया है। जिससे हक तर्क व

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

बंटवाड़े की स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार मेड़ता यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो, अन्यथा आदेश नही हो, विधिक बाधा नही हो तथा भूमि रहन नही हो तो नियमानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद जाब्ता कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

के.आर. चौहान
उपखण्ड अधिकारी,
मेड़ता

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kashi Ram Chauhan
Date: 2019.12.20 11:23:46 IST
Reason: SelfAttested
Location: